

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 1984/आषाढ़ 22, 1906
No. 262] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1984/ASADHA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1984

सं. 162/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 512(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1984 (1984 का 21) की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधिम, 1944 के नियम 8 के अधिनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 115/84-केन्द्रीय उत्पाद, तारीख 11 मई, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में —

- (क) खण्ड (1) में, अन्त में आने वाले शब्द “और” का लोप किया जाएगा,
- (ख) खण्ड (2) में, अन्त में “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा,
- (ग) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 10 के अन्तर्गत आने वाला फरफ्यूरल निष्कर्षण जो कार्बन काजल (ब्लैक) के निर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए आशयित है,” ।

[एफ. सं. 88/2/84-सी. एक्स.-3]

सी. माथुर, जवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 1984

No. 162/84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 512(E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 52 of the Finance Act, 1984 (21 of 1984), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India. Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 115/84-Central Excise, dated the 11th May, 1984, namely :—

In the said notification,

- (a) in clause (i), the word “and” occurring at the end shall be omitted.

-
- (b) in clause (ii), the word “and” shall be inserted at the end,
- (c) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely :—
- “(iii) Furfural extract, falling under Item No. 10 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black”.

[F. No. 88/2/84-CX. 3]

C. MATHUR, Under Secy.

